

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको भवन, आई.एच.सी. लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

सं. F.HUDCO/MSME-Admn./2015

6 मई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के डी.ओ. पत्र संख्या 21(1)/2011-एमए के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत लघु एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 और हस्तशिल्प क्षेत्र सहित लघु उद्योग इकाइयों से खरीद हेतु वस्तुओं की सूची (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतियां संलग्न हैं)। तदनुसार, एचआरएमए मुख्यालय द्वारा 17 अगस्त, 2012 को इस विषय पर सख्त अनुपालन हेतु एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों सहित मुख्यालय के सभी विभागों को उपरोक्त दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों की एक शर्त यह है कि संबंधित विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों को निविदाएं आमंत्रित करते समय एनआईटी में निम्नलिखित खंड को विशेष रूप से शामिल करना होगा।

“सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसएमई के साथ पंजीकृत विक्रेता भी बोली में भाग ले सकते हैं। इन विक्रेताओं द्वारा कोई ईएमडी देय नहीं होगी और सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य छूट उन पर लागू होंगी, बशर्ते कि निविदा और अनुबंध के अन्य नियमों और शर्तों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।” (संदर्भ: एमएसएमई डी.ओ. संख्या 21(1)/2011-एम.ए. दिनांक 25 अप्रैल 2012)।

इसके अलावा, एनआईटी की एक प्रति मंत्रालय को भी उसी दिन अनुलग्नक-1 में दिए गए पते पर भेजी जानी आवश्यक है ताकि एनआईटी का उचित और समय पर प्रसार हो सके।

यह देखा गया है कि कुछ कार्यालय उपरोक्त सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यालय के सभी विभागों और एचएसएमआई सहित क्षेत्रीय कार्यालयों से पुनः अनुरोध है कि वे एमएसएमई, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करें और एनआईटी में यह खंड शामिल करें।

इसके अलावा, हडको और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूपीए) के बीच 2015-16 के समझौता ज्ञापन के नोट्स के खंड 2 के अनुसार, सीपीएसई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश का पालन करना होगा, जो दिनांक 25 अप्रैल, 2012 को डी.ओ. संख्या 2(1)/2011-एम.ए. के तहत जारी किया गया था, और उपर्युक्त आदेश का पालन न करने पर 1 अंक तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

जे. प्रेम नवाज़
कार्यकारी निदेशक (एचआरएमए)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:

1. एजीएमएफ (सीएमडीओ)

2. डीएफ के एजीएम (एस)
3. डीसीपी के एजीएम (एस)
4. सीवीओ के एजीएम (एस)
5. सभी ईडी
6. सभी आरसी/जीएम - अनुरोध है कि वे ऊपर बताए गए खंड को शामिल करें और एनआईटी की एक प्रति अपने क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई (डीआई) कार्यालय को भी भेजें।
7. कंपनी सचिव।
8. हडको इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए जीएम (आईटी)।
9. सभी नोटिस बोर्ड/एचएसएमआई/आरओ-एनसीआर।
10. ओओ फाइल